PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

CURRENT AFFAIRS

6th DEC 2024

For more exam related videos and guidance, scan the code to join our YouTube Channel

For more exam related material, scan the code to join our Telegram Channel

Scan the code to join our Instagram Channel

INDEX

SN.	TOPIC
1	शी-बॉक्स पोर्टल
2	क्या जाति जनगणना एक उपयोगी कार्य है?
3	राज्य सभा ने बॉयलर विधेयक पारित किया
4	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कार्मिक
5	कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा
6	परमाणु प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कृषि उपकरण के रूप में

शी-बॉक्स पोर्टल

प्रसंग

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है।

बारे में

- यह एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के **बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- यह देश भर में विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित **आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी)** से संबंधित जानकारी का **सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत भंडार** उपलब्ध कराएगा ।

SHe-Box पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

- **नोडल अधिकारी:** इसमें प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है, जिसे शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए नियमित आधार पर डेटा/सूचना को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होगा।
- **शिकायत दर्ज करना:** पोर्टल पर शिकायत किसी पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है।
- **निगरानी:** इसमें केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों के लिए एक निगरानी डैशबोर्ड है, जिससे दायर, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या देखी जा सकती है।
- **गोपनीयता:** पोर्टल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता के विवरण को छुपाता है।
    - आईसी/एलसी के अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति पंजीकृत शिकायत का विवरण या प्रकृति नहीं देख सकता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन एहसान की मांग, यौन टिप्पणियां और कोई अन्य अनुचित व्यवहार।
- **आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):** 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन को एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित करनी होगी।
    - समिति का नेतृत्व किसी महिला द्वारा किया जाना चाहिए तथा इसमें कम से कम एक बाहरी सदस्य, जैसे महिला मुद्दों पर विशेषज्ञ या गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, शामिल होना चाहिए।
- **शिकायत तंत्र:** महिलाएं तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती हैं और आईसीसी को **90 दिनों के भीतर उनका समाधान करना होगा।**
- **गोपनीयता:** शिकायतों और जांच को गोपनीय रखा जाना चाहिए।

- **नियोक्ता का उत्तरदायित्व:** नियोक्ता को निवारक उपाय करने होंगे, प्रशिक्षण आयोजित करना होगा तथा शिकायतों पर कार्रवाई करनी होगी।
- **निवारण:** यदि उत्पीड़न सिद्ध हो जाता है, तो अपराधी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, तथा पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है।
- **कोई प्रतिशोध नहीं:** शिकायतकर्ता या गवाहों के खिलाफ प्रतिशोध निषिद्ध है। किसी भी प्रतिशोध या उत्पीड़न को कानून के तहत एक अलग उल्लंघन माना जाएगा।
- **दंड:** एसएच अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर नियोक्ताओं पर दंड लगाया जा सकता है।

महत्व

- **महिला सशक्तिकरण:** यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी उपाय प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **सुरक्षित कार्यस्थल:** यह सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण के सृजन को बढ़ावा देता है, तथा महिलाओं को कार्यबल में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियां

- **जागरूकता का अभाव:** कई कर्मचारी अपने अधिकारों और निवारण के लिए उपलब्ध तंत्रों से अनभिज्ञ हैं।
- **कम रिपोर्टिंग:** अभी भी कुछ हद तक कम रिपोर्टिंग होती है, जिसका मुख्य कारण प्रतिशोध का डर या सिस्टम में विश्वास की कमी है।
- **अप्रभावी कार्यान्वयन** : कुछ संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन और उनकी कार्यप्रणाली अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं है।

निष्कर्ष

- एसएच अधिनियम, 2013 **भारत में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**
- यद्यपि अधिनियम में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों की ओर से जागरूकता, प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल उत्पीड़न से मुक्त हों।
- शी-बॉक्स पोर्टल सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और पीड़ित महिलाओं को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या जाति जनगणना एक उपयोगी कार्य है?

प्रसंग

- राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों के समर्थन से जाति जनगणना की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

जाति जनगणना क्या है?

- जाति जनगणना में विभिन्न जाति समूहों की **जनसंख्या के आकार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आंकड़े एकत्र करना शामिल है।**
- अधिवक्ताओं का मानना है कि यह जातिगत अनुपात के आधार पर सरकारी नौकरियों, भूमि और अन्य संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **पहली विस्तृत जाति जनगणना** 1871-72 में बंगाल और मद्रास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित की गई।
    - हालाँकि मनमाने वर्गीकरण से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जैसा कि 1881 की जनगणना रिपोर्ट में डब्ल्यू. चिचेले प्लोडेन ने उल्लेख किया था।
- **1931 जाति जनगणना:** इसमें **4,147 जातियों की** पहचान की गई , जिससे विभिन्न क्षेत्रों में एक ही जाति द्वारा दावा की जाने वाली अलग-अलग पहचान जैसी चुनौतियों को उजागर किया गया।
- **स्वतंत्रता के बाद:** 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) में **46.7 लाख से अधिक जातियों/उप-जातियों की** पहचान की गई जिनमें महत्वपूर्ण त्रुटियां थीं।

जाति जनगणना के लिए अनिवार्यताएं

- **जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को समझना:** यह नीति निर्माताओं को संसाधन आवंटन में अंतराल की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- **आरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार:** मौजूदा आरक्षण नीतियां 1931 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं।
    - एक नई जाति जनगणना से कोटा प्रणाली को युक्तिसंगत और अद्यतन बनाया जा सकता है, जिससे निष्पक्षता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
- **हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना:** राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों और उपजातियों की उपस्थिति को मान्यता देना।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** सटीक जातिगत आंकड़े निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का मार्गदर्शन कर सकते हैं और विधायी निकायों में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं।

सटीक डेटा संग्रह की चुनौतियाँ

- **ऊपर की ओर जाति गतिशीलता के दावे:** उत्तरदाताओं ने कुछ जातियों से जुड़ी प्रतिष्ठा के कारण उच्च सामाजिक स्थिति का दावा किया। **1921 और 1931 की जनगणनाओं के बीच,** कुछ समूहों ने खुद को उच्च जातियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया।

- **निम्न जाति गतिशीलता दावे:** स्वतंत्रता के बाद, आरक्षण नीतियों के लाभ ने कुछ लोगों को स्वयं को निम्न सामाजिक श्रेणियों से संबंधित बताने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- **जातिगत गलत वर्गीकरण:** विभिन्न क्षेत्रों में समान ध्वनि वाले उपनामों के कारण अक्सर गलतियाँ होती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ गलत प्रतिनिधित्व और असमान संसाधन आवंटन का कारण बनती हैं।
- **समुदायों के भीतर जातिगत दावों की बहुलता:** एक ही नाम वाले समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग वर्ण या जातिगत पहचान का दावा कर सकते हैं।
    - **उदाहरण:** एक क्षेत्र में सोनार लोग क्षत्रिय या राजपूत कहलाते थे, जबकि दूसरे क्षेत्र में वे ब्राह्मण या वैश्य कहलाते थे।
- **गणनाकर्ताओं की व्यक्तिपरकता:** जनगणना अधिकारी जातिगत पदानुक्रम के बारे में जानकारी के अभाव या पूर्वाग्रहों के कारण अनजाने में उत्तरदाताओं का गलत वर्गीकरण कर देते हैं।
    - **उदाहरण: 2022 में बिहार जाति जनगणना** के दौरान जाति वर्गीकरण में **'हिजड़ा' और 'किन्नर'** जैसी अस्पष्ट श्रेणियों को शामिल करने पर विवाद उत्पन्न हुआ ।

वे फारवर्ड

- जाति जनगणना के संचालन के लिए एक **मजबूत और पारदर्शी ढांचा स्थापित करना, जिसमें डेटा की सटीकता के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी समाधानों को शामिल किया जाना चाहिए।**
- उत्तरदाताओं को सटीक जानकारी प्रदान करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए **जागरूकता अभियान चलाएं ।**
- समान ध्वनि वाले उपनामों और अतिव्यापी पहचानों पर भ्रम को दूर करने के लिए राज्यों में **जाति वर्गीकरण को मानकीकृत करना ।**
- समय के साथ त्रुटियों को सुधारने के लिए एकत्रित आंकड़ों की **आवधिक समीक्षा और सत्यापन के लिए तंत्र** प्रस्तुत करना ।

राज्य सभा ने बॉयलर विधेयक पारित किया

समाचार में

- बॉयलर्स विधेयक, 2024 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया, जो बॉयलर्स अधिनियम, 1923 का स्थान लेगा, जिसे औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियमित किया गया था।

क्या आप जानते हैं ?

- बॉयलर को एक बर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दबाव में भाप उत्पन्न की जाती है। - बॉयलर को **संविधान की समवर्ती सूची**

के तहत सूचीबद्ध किया गया है , जिसका अर्थ है कि संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों उन पर कानून बना सकती हैं।

विधेयक की पृष्ठभूमि

- बॉयलर अधिनियम, 1923 भाप बॉयलरों के विनिर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को नियंत्रित करता है ताकि उनका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- बॉयलर **अधिनियम, 1923** सुरक्षा पर केंद्रित है और इसे वर्तमान आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने तथा **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **गैर-अपराधीकृत प्रावधानों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है।**
- बॉयलर्स अधिनियम, 1923 को 2007 में संशोधित किया गया था ताकि **स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षण को** शामिल किया जा सके , लेकिन आगे की समीक्षा की आवश्यकता थी।
- इसलिए, स्पष्टता के लिए बॉयलर्स विधेयक, 2024 को आधुनिक प्रारूपण प्रथाओं के अनुसार पुनः तैयार किया गया है।

बॉयलर्स विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं

- **बॉयलरों का विनियमन:** विधेयक बॉयलरों के विनिर्माण, स्थापना, संचालन, परिवर्तन और मरम्मत को विनियमित करता है।
    - परिचालन से पहले पंजीकरण आवश्यक है, जिसका प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाता है।
    - केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड नियम बना सकता है, और राज्य सरकारें निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती हैं।
- **छूट:** विशिष्ट क्षमता या उपयोग वाले बॉयलरों को छूट दी गई है (जैसे, 25 लीटर से कम या 1 किग्रा/सेमी² दबाव से कम वाले)।
    - राज्य आपातकालीन स्थिति में या तीव्र औद्योगिक विकास को समर्थन देने के लिए बॉयलरों को छूट दे सकता है।
- **अपराध और दंड:** बिना अनुमति के बॉयलर में बदलाव करने या सुरक्षा वाल्वों से छेड़छाड़ करने जैसे अपराधों के लिए दंड। जुर्माने से लेकर कारावास तक का प्रावधान है।
- **सुरक्षा और एकरूपता:** विधेयक का उद्देश्य बॉयलर विस्फोटों से सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- **गैर-अपराधीकरण प्रावधान:** जन विश्वास अधिनियम, 2023 से गैर-अपराधीकरण उपायों को शामिल किया गया है।
- **जुर्माने के स्थान पर** गैर-आपराधिक अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, तथा दंड न्यायालयों के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा।

- विवाद समाधान के लिए नए खंड 35 (न्यायनिर्णय) और 36 (अपील) जोड़े गए हैं।

महत्त्व

- विधेयक का उद्देश्य निर्माण, दबाव विनिर्देशों, पंजीकरण और आवधिक निरीक्षणों के मानकों सहित पूरे भारत में विनियमों में एकरूपता सुनिश्चित करके औद्योगिक बॉयलरों का उपयोग करने वाले **कारखानों में सुरक्षा को बढ़ाना है ।**
    - **इसका ध्यान बॉयलर विस्फोटों को रोकने** तथा जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है ।
- विधेयक में गैर-अपराधीकरण प्रावधानों को शामिल करके बॉयलर उपयोगकर्ताओं, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र को लाभ पहुंचाया गया है।

महत्वपूर्ण मुद्दे

- **प्रावधानों से छूट:** विधेयक राज्य सरकारों को कुछ क्षेत्रों को छूट देने की अनुमति देता है, जिससे सुरक्षा से समझौता हो सकता है।
- **अपील तंत्र का अभाव:** केंद्र सरकार या निरीक्षकों द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए कोई न्यायिक सहारा नहीं है; अपील केवल उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से की जा सकती है।
- **निरीक्षकों के लिए प्रवेश शक्तियां:** निरीक्षकों के पास परिसर में प्रवेश करने की शक्तियां हैं, लेकिन समान कानूनों के विपरीत, कोई सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।
- **अनुपालन का सरलीकरण:** कुछ राज्य बॉयलरों के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति देते हैं, लेकिन विधेयक में यह सुविधा शामिल नहीं है।
    - विधेयक में परिवर्तन और मरम्मत के लिए निरीक्षण या अनुमोदन हेतु समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

निष्कर्ष और वे फारवर्ड

- बॉयलर्स विधेयक, 2024, बॉयलर्स के लिए भारत के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों और जनता की भलाई सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक विकास को समर्थन देना है।
- इसके कार्यान्वयन पर पर्यावरणीय मानकों, न्यायिक निष्पक्षता और सुसंगत प्रवर्तन से समझौता न करने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कार्मिक

प्रसंग

- हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा को बताया कि 2025 तक CAPFs और असम राइफल्स में 4,138 महिला कार्मिकों की भर्ती होने की संभावना है।

Central Armed Police Forces (CAPF)

- These play a crucial role in maintaining internal security and border protection, and work under the **Union Home Ministry.**
- These include seven paramilitary forces, namely:
  - *Assam Rifles*
  - *Border Security Force (BSF)*
  - *Indo-Tibetan Border Police (ITBP)*
  - *Sashastra Seema Bal (SSB)*
  - *Central Industrial Security Force (CISF)*
  - *Central Reserve Police Force (CRPF)*
  - *National Security Guard (NSG) special task force.*

ऐतिहासिक संदर्भ: CAPF में महिलाएं

- सीएपीएफ में महिलाओं की यात्रा **20वीं सदी के अंत में शुरू हुई** , जब सीआरपीएफ 1986 में महिलाओं को शामिल करने वाला पहला बल था। प्रारंभ में, उनकी भूमिकाएं **सहायक और प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित थीं।**
- हालाँकि, बदलते सामाजिक मानदंडों और महिलाओं की क्षमताओं की मान्यता के साथ, उनकी भागीदारी का **विस्तार युद्ध और परिचालन भूमिकाओं तक हो गया है।**

वर्तमान स्थिति/प्रतिनिधित्व

- वर्तमान में 9.48 लाख की संख्या वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में महिलाओं की संख्या 4.4% है।
  - **2014 से 2024 तक के 10 वर्षों में CAPFs में महिला कार्मिकों** की संख्या लगभग तीन गुनी हो गई है , जबकि **प्रतिशत अभी भी कम है।**
- सीआईएसएफ में महिलाओं का **प्रतिनिधित्व सबसे अधिक** 7.02% है, उसके बाद एसएसबी (4.43%), बीएसएफ (4.41%), आईटीबीपी (4.05%), असम राइफल्स (4.01%), और सीआरपीएफ (3.38%) का स्थान है।
- वे अन्य कर्तव्यों के अलावा सीमा पर गश्त, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं।

कम प्रतिनिधित्व के कारण

- **सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं:** पारंपरिक लिंग भूमिकाएं और सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर महिलाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने से हतोत्साहित करती हैं।

- **भर्ती और प्रतिधारण संबंधी मुद्दे:** नीतिगत उपायों के बावजूद, वास्तविक भर्ती प्रक्रिया को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें महिला आवेदकों की संख्या में कमी और उच्च भर्ती दर शामिल है।
- **कार्य वातावरण:** नौकरी की मांगपूर्ण प्रकृति, जिसमें बार-बार स्थानांतरण और दूरदराज के क्षेत्रों में पोस्टिंग शामिल है, महिलाओं के लिए कम आकर्षक हो सकती है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं।
- **बुनियादी ढांचा और सुविधाएं:** पृथक आवास और स्वच्छता जैसी अपर्याप्त सुविधाएं महिलाओं को सेना में शामिल होने और वहां रहने से रोक सकती हैं।

प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास

- **आरक्षण नीतियाँ:** 2016 में, सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में **सभी कांस्टेबल स्तर के पदों में से एक तिहाई पद** महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया, तथा बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे सीमा सुरक्षा बलों में 14-15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
- **भर्ती प्रयास:** सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई है।
    - 2025 में अतिरिक्त 4,138 महिलाओं की भर्ती होने की उम्मीद है, जिसमें बीएसएफ का हिस्सा सबसे बड़ा होगा।
- एक **संसदीय समिति ने** महिलाओं को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाने की सिफारिश की है, जिसमें उन्हें ***'आसान पोस्टिंग'*** प्रदान करना और उन्हें अत्यधिक कठिन कार्य परिस्थितियों में न रखना शामिल है।
    - समिति ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की संभावना तलाशने का सुझाव दिया।

निष्कर्ष

- इन महत्वपूर्ण बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बेहतर भर्ती रणनीति, बेहतर कार्य स्थितियां और सामाजिक परिवर्तन सहित निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा

प्रसंग

- केंद्र ने **"कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा"** का मसौदा जारी किया है , जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में मदद करना है।

बारे में

- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने डीएएंडएफडब्ल्यू के अतिरिक्त सचिव (विपणन) फैज अहमद किदवई की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया।
- प्रारूप समिति ने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा का मसौदा तैयार किया है।

राष्ट्रीय नीति ढांचे की प्रमुख विशेषताएं

- **कृषि विपणन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विपणन मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त कृषि विपणन सुधार समिति के गठन का** प्रस्ताव किया गया है ।
    - राज्यों में कर नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने तथा एकीकृत कर व्यवस्था बनाने में जीएसटी परिषद की सफलता इस नई पहल के लिए एक आदर्श उदाहरण है।
    - **समिति की संरचना:** अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता किसी भी राज्य के कृषि मंत्री द्वारा बारी-बारी से की जा सकती है, जबकि शेष राज्यों के कृषि मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- **आपूर्ति श्रृंखला सुधार:** इसमें निजी थोक बाजारों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद, तथा गोदामों और कोल्ड स्टोरेज को मान्य बाजार घोषित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
    - ये उपाय आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को कम करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ मिले।
- **मूल्य बीमा योजना:** इसमें किसानों को मूल्य में गिरावट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की तर्ज पर मूल्य बीमा योजना का प्रस्ताव है।
    - इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है।

कृषि विपणन क्या है?

- **कृषि का अर्थ सामान्यतः फसलों और पशुओं को उगाना और/या उनका पालन-पोषण करना है, जबकि विपणन में उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक** वस्तुओं को ले जाने से संबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है।
- इसमें कृषि वस्तुओं की योजना, उत्पादन, परिवहन, प्रसंस्करण और वितरण शामिल हैं।
- इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद उचित मूल्य पर बाजार की मांग को पूरा करते हुए उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुंचें।
- कृषि विपणन **संविधान के अनुच्छेद 246 के** अंतर्गत सातवीं अनुसूची की **सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 28 के अंतर्गत राज्य का विषय है।**

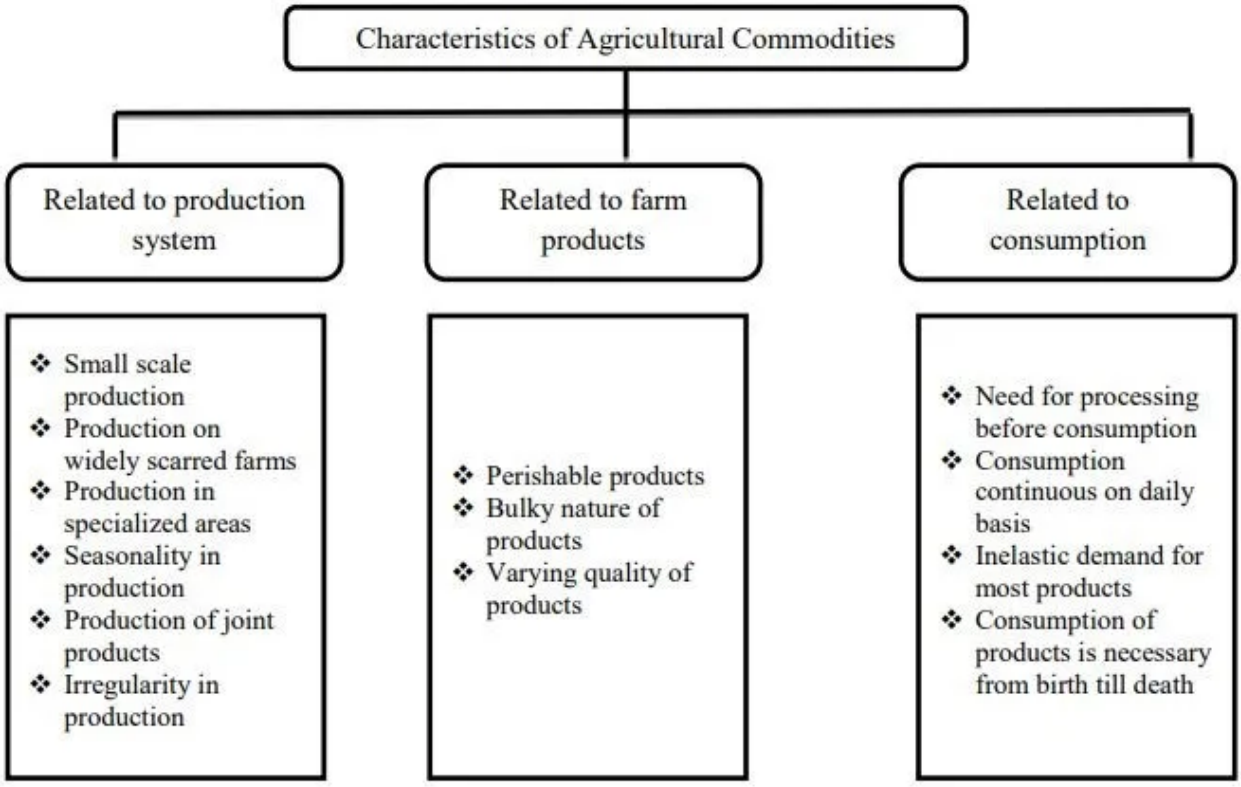

भारत में कृषि विपणन के समक्ष चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** खराब परिवहन, भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाओं के कारण फसल कटाई के बाद भारी नुकसान होता है और वितरण में अकुशलता आती है।
- **खंडित बाजार:** संगठित बाजारों की कमी और अनेक बिचौलियों पर निर्भरता से लागत बढ़ जाती है और किसानों का लाभ मार्जिन कम हो जाता है।
- **मूल्य में उतार-चढ़ाव:** बाजार में अस्थिरता के कारण किसानों को अक्सर अप्रत्याशित कीमतों का सामना करना पड़ता है, जिससे आय में अस्थिरता पैदा होती है।
- **सीमित बाजार पहुंच:** छोटे किसानों को दूरस्थ या संगठित बाजारों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे उचित मूल्य पर बिक्री करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **बाजार संबंधी जानकारी का अभाव:** किसानों को अक्सर कीमतों, मांग के रुझान और गुणवत्ता मानकों के बारे में समय पर जानकारी का अभाव होता है, जिससे निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सीमित ऋण और वित्तीय सहायता:** परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए किफायती ऋण तक पहुंचने में कठिनाई विकास और लाभप्रदता को सीमित करती है।
- **अपर्याप्त मूल्य संवर्धन:** प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में कम निवेश के कारण कच्चे, अप्रसंस्कृत माल का निर्यात कम कीमतों पर होता है।

भारत में कृषि विपणन सुधार हेतु सरकारी पहल:

- **पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) 2018:** मूल्य समर्थन, मूल्य कमी भुगतान और निजी खरीद योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक योजना।

- **कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) सुधार:** बिचौलियों को कम करने के लिए प्रत्यक्ष बिक्री और निजी बाजार भागीदारी के लिए एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- **ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार):** पारदर्शी व्यापार और बेहतर मूल्य निर्धारण को सक्षम करने के लिए मंडियों को एकीकृत करने वाला एक ऑनलाइन मंच।
- **किसान रेल योजना:** शीघ्र खराब होने वाले सामानों के परिवहन, बाजार पहुंच में सुधार और परिवहन लागत को कम करने के लिए समर्पित रेलगाड़ियां।
- **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** भंडारण, प्रसंस्करण और शीत भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **एक राष्ट्र, एक बाजार:** बाधाओं को दूर करके और ई-एनएएम मंच को मजबूत करके निर्बाध अंतरराज्यीय व्यापार का लक्ष्य।
- **एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) संवर्धन:** सौदेबाजी की शक्ति और बाजार संपर्क में सुधार के लिए किसान सहकारी समितियों को समर्थन देना।
- **कृषि-स्टार्टअप के लिए समर्थन:** वित्तीय और परामर्श सहायता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार और नए बाजार समाधान को प्रोत्साहित करना।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति:** एमएसपी प्रणाली का उद्देश्य किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उनकी फसलों के लिए प्राप्त मूल्य उत्पादन लागत से अधिक हो।

निष्कर्ष

- सरकार के कृषि विपणन सुधारों का उद्देश्य अकुशलताओं को दूर करना, बिचौलियों के प्रभाव को कम करना और किसानों को बेहतर आय के अधिक अवसर प्रदान करना है।
- ये सुधार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहतर बाजार पहुंच, न्यायसंगत मूल्य निर्धारण तंत्र और नवीन समाधान प्रदान करके खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

परमाणु प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कृषि उपकरण के रूप में

प्रसंग

- 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण सुविधाएं स्थापित करने की भारत की पहल, टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

बारे में

- परमाणु प्रौद्योगिकी कृषि और खाद्य उत्पादन में एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरी है।
- हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने** IAEA वैज्ञानिक फोरम **'एटम्स4फूड'** का आयोजन किया ।
    - विभिन्न देशों के वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार परमाणु प्रौद्योगिकियों का उपयोग हमारे देश में कृषि और खाद्य उत्पादन में किया जा रहा है।

कृषि में परमाणु प्रौद्योगिकी

- **सूक्ष्मजीव नियंत्रण:** विकिरण प्रभावी रूप से उन सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, जिससे कृषि उपज का शेल्फ जीवन बढ़ जाता है।
    - भारत की वाशी और नासिक स्थित विकिरण सुविधाएं फसल-उपरांत होने वाली हानि को कम करने में महत्वपूर्ण हैं।
- **विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तन:** यह गुणसूत्र स्तर पर आनुवंशिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विकिरण का उपयोग करता है, जिससे उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु अनुकूलन क्षमता वाली फसल किस्मों का विकास संभव हो पाता है।
- **फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड (एफआरएन) तकनीक:** यह विधि मृदा अपरदन की मात्रा निर्धारित करती है तथा व्यापक मृदा पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में मदद करती है।
- **कॉस्मिक-रे न्यूट्रॉन सेंसर (सीआरएनएस) प्रौद्योगिकी:** सीआरएनएस बड़े पैमाने पर मिट्टी की नमी को मापने की अनुमति देता है, जो कुशल सिंचाई योजना के लिए महत्वपूर्ण है।
- **रेडियोइम्यूनोएसे (आरआईए) तकनीक:** आरआईए पशुधन में प्रजनन हार्मोन की निगरानी, प्रजनन क्षमता में सुधार और कृत्रिम गर्भाधान के लिए इष्टतम समय की पहचान करने में सहायता करती है।
- **बाँझ कीट तकनीक (एसआईटी)** : एसआईटी में कीटों की आबादी को रोकने के लिए उन्हें बाँझ बनाना और छोड़ना शामिल है।
- **समस्थानिक अनुरेखण** : नाइट्रोजन-15 अनुरेखण जैसी तकनीकें फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का आकलन करती हैं, उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करती हैं और टिकाऊ फसल पोषण और जल प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं।
- **खाद्य प्रामाणिकता के लिए परमाणु विधियां** : ये विधियां खाद्य उत्पादों की भौगोलिक उत्पत्ति और प्रामाणिकता को सत्यापित करती हैं, जिससे वैश्विक खाद्य बाजार में गुणवत्ता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित होता है।

कृषि में परमाणु प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ

- **उच्च आरंभिक लागत:** विकिरण केन्द्रों या आइसोटोपिक ट्रेसिंग प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे ये विकासशील देशों और छोटे किसानों के लिए कम सुलभ हो जाती हैं।

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** परमाणु सामग्री या रेडियोधर्मी अपशिष्ट का कुप्रबंधन पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न करता है।
- **छोटे किसानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता:** परमाणु प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागत छोटे और सीमांत किसानों के लिए निषेधात्मक हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता:** कुछ परमाणु प्रौद्योगिकियों के लिए IAEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है, या आयातित उपकरणों और आइसोटोप पर निर्भरता होती है, जिससे विकासशील देशों में कार्यान्वयन में देरी होती है।
- **नैतिक मुद्दे:** विकिरण-प्रेरित उत्परिवर्तन जैसी तकनीकों का उपयोग नैतिक चिंताएं उत्पन्न करता है, विशेष रूप से आनुवंशिक संशोधनों के संबंध में।

वे फारवर्ड

- परमाणु प्रौद्योगिकी खाद्य सुरक्षा, मृदा क्षरण और कीट नियंत्रण जैसी कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान प्रदान करती है।
- पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ परमाणु समाधान को एकीकृत करने से इस क्षेत्र में स्थिरता, उत्पादकता और लचीलापन सुनिश्चित करने की क्षमता है।